क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम / क्षैका किश / पीयूबी–177 /   दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मस प्रोक्योरमेन्ट, प्रोसेसिंग एवं रिटेलिंग कॉपरेटिव्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.ए.सी.ओ.एफ.) द्वारा एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट निपटान और सैनिटरी लैंडफिल सुविधा, प्रस्तावित एम.एस.डब्ल्यू. संयंत्र क्षमता–300 टीपीडी (खाद एवं आरडीएफ संयंत्र), सैनिटरी लैंडफिल–75000 घन मीटर, कुल संयंत्र क्षेत्र 25939.42 वर्गमीटर, खसरा संख्या 3185 / 1508, 3190 / 2710, 1392, 3184 / 1392, 3191 / 2711, ग्राम माखुपूरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **मैसर्स नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मस प्रोक्योरमेन्ट, प्रोसेसिंग एवं रिटेलिंग कॉपरेटिव्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.ए.सी.ओ.एफ.)** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
   1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–अजमेर, जिला–अजमेर।
   6. अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ / सामान्य / 2022 / 8515 दिनांक 16.07.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 02 / 09 / 2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान– ट्रेचिंग ग्राउन्ड, ग्राम माखुपूरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

Deepak Tanwar.

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षैत्रीय अधिकारी